



राजस्थान रोजगार संदेश

पक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 47 अंक 17

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

15 अक्टूबर, 2024

मूल्य : 3.00

वार्षिक शुल्क 60 रु

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक : वि.सं. 15/Exam/Biochemist/Med. Edu.(Gr.-1)/RPSC/EP-I/2024-25

दिनांक : 27.09.2024

आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ग्रांज) नियम, 1982 के अन्तर्गत बायोकेमिस्ट (Biochemist) के पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) एवं वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

Name of Post	No. of Post (s)	Gen. (UR)				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
		GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV	GEN.	GEN. WE	WD	DV
Biochemist	13	4	0	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Horizontal Reservation:- 1. Ex. Ser. - (Gen./UR-0, SC-0, ST-0, OBC-0, MBC-0, EWS-0)

2. P.H.- (ii) H.H.-0 (iii) (OL, BL, DW, AAV)-01 (बैकलॉग वर्ष 2014-15), (iv) (a) S.L.D. & (b) Mul. Dis.- 01

नोट :- अनुसूचित जाति के कुल 03 पद व अनुसूचित जनजाति कुल 03 पद वर्ष 2014-15 की भर्ती के बैकलॉग के हैं, जिन्हें अब भरे जाने हेतु प्रथम बार अग्रणीत किया जा रहा है।

Abbreviations Used: GEN - General, U.R. - Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, GEN WE - General Women, WD-Widow, DV-Divorcee, B/LV- Blindness/Low Vision, D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, LD/CP & Others - Locomotor Disability including Cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy, OL-One Leg, BL-Both Leg, I.D. - Intellectual disability, M.I.- Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability, Ex. Ser. - Ex Serviceman, P.H. - Physical Handicapped.

टिप्पणी:- एकाधिक दिव्यांगता (Multiple Disability) श्रेणी के लिए कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29.08.2019 में दिव्यांगता की दर्शाई गई श्रेणियों में से (अ) एवं (ब) की अनिवार्यता के साथ (स) अथवा (द)(1) में वर्णित कोई एक दिव्यांगता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थवर्गीय उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्तर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और, यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्तर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थवर्गीय उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अर्थवर्गीय के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं से या इसके विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा अर्थवर्गीय के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थवर्गीय के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थवर्गीयों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अर्थवर्गीयों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्तर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विधिच्छन्न विवाह/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर कैंडिडेट आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन/निशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थवर्गीय जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार क्षैतिज (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेंगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियुक्ता उस रिक्ति को निशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.03.2013 एवं 21.11.2019 के अनुसार ही उत्कृष्ट खिलाड़ी की पात्रता रखने वाले अर्थवर्गीयों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

टिप्पणी:- "बिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्राक्धान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होगी।"

(क्रमशः)

[illegible]

(रामनिवास मेहता)
सचिव

[illegible]



राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी

व पूर्व प्रधानमंत्री

लाल बहादुर शास्त्री जी

की जयंती पर शत-शत नमन

2 अक्टूबर 2024



श्री नरेन्द्र मोदी
राजस्थान सरकार

“महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का सम्पूर्ण जीवन केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का एक अनंत स्रोत है। उनकी सादगी, समर्पण और सेवा की भावना ने हमें नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा की सच्ची परिभाषा दी है। गांधीजी का मानना था कि स्वच्छता ही सेवा है। यह विचार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का आधार है। दोनों महापुरुषों को उनकी जयंती पर प्रदेश की ओर से भावपूर्ण नमन।”

भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्रमांक: संक्षिप्त वि.सं. 16/Exam/Research Assistant/RPSC/EP-1/2024-25 दिनांक: 08.10.2024

संक्षिप्त विज्ञापन

आयोग द्वारा भूतपूर्व विभाग के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य बातों) नियम, 2001 के अन्तर्गत अनुसंधान सहायक (RESEARCH ASSISTANT) के कुल 26 पदों पर भर्ती हेतु अनिवार्य आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अध्यापनी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आवेदन अवधि	दिनांक 15.10.2024 से दिनांक 13.11.2024 रात्रि 12-00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य बिन्दु व सूचना:- एकमात्र पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाधियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्वच्छता कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।
DIPR/C/9688/24 रा.रो.सं 38/2024 (राजनिवास मेहता) सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
क्र. सं. संक्षिप्त वि.सं. 14 एवं 15/ परीक्षा/ तकनीकी सहायक एवं क्लर्क/ EP-1/ 2024-25 दिनांक: 27.09.2024

संक्षिप्त विज्ञापन

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए 02 विज्ञापनों के तहत अनिवार्य आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उक्त विज्ञापनों के तहत विज्ञापित पदों की शैक्षणिक योग्यता विभागवार पदों की संख्या, वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अध्यापनी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध पृथक-पृथक विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। इन विज्ञापनों के तहत विज्ञापित पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विज्ञापन संख्या, पदों की संख्या, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	विज्ञापन संख्या	पदों की संख्या	आवेदन अवधि
1	भू-जल विभाग	तकनीकी सहायक	14/2024-25	03	01.10.2024 से 30.10.2024
2	चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग	क्लर्क/कैमिस्ट	15/2024-25	13	08.10.2024 से 06.11.2024

अन्य बिन्दु व सूचना:- एकमात्र पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाधियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्वच्छता कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।
DIPR/C/9311/24 रा.रो.सं 39/2024 (राजनिवास मेहता) सचिव

वार्षिक अभिदाताओं/एजेंट हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे ₹ 60/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं।

- संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों/संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है।

- सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
धर्मपाल मीना
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
जयपुर, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
डॉ. संजीव सोलंकी
सहायक निदेशक (प्रकाशन), राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दाबा मूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in